उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-26/2016/1138/92-2-16-77(जांच)/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 14 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा में तैनाती की अवधि में अभिलेखीय गडबडी/हेरफेर कर वित्तीय अनियमितता करने, अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, उच्चाधिकारियों के अधिकारों का अतिक्रमण करने, व शासनादेशों में निहित प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने आदि अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा (वर्तमान में अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-चित्रकूट) को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच-आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता

प्रमुख सचिव।

संख्या-26/2016/1138(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को आरोप पत्र की 02 प्रति सहित।

3- श्री बालकृष्ण, अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0,प्रखण्ड-आगरा (वर्तमान में अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-आगरा) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in